भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3581

21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का रखरखाव

3581. श्री संतोष पांडेयः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यशील और अक्रियाशील एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट (एएलएस) और बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) एम्बुलेंसों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या छत्तीसगढ़ में ऐसी जीवन रक्षक एम्बुलेंस पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसी एम्बुलेंसों के रखरखाव के लिए कितनी निधि प्रदान की गई है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा एम्बुलेंसों और उपकरणों की कोई लेखापरीक्षा की जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): एनएचएम-एमआईएस, सितंबर 2024 के अनुसार, एनएएस के अंतर्गत देश भर में चल रही कुल एएलएस और बीएलएस एम्बुलेंस की संख्या क्रमशः 3,058 और 15,475 है। एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट (एएलएस) और बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) एम्बुलेंस सहित कार्यशील एम्बुलेंस का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देने के लिए अनुशंसित जनसंख्या मानदंड एएलएस एम्बुलेंस के लिए प्रति 500,000 लोगों पर एक है और बीएलएस एम्बुलेंस के लिए यह मानदंड प्रति 100,000 लोगों पर एक है। एनएचएम-एमआईएस, सितंबर 2024 के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में 30 एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एम्बुलेंस और 296 बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) एम्बुलेंस कार्यरत हैं। यह सहायता राज्य द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के आधार पर प्रदान की जाती है।

(ग): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, एंबुलेंस के रखरखाव के लिए निधि परिचालन लागत में शामिल है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके समग्र संसाधन के दायरे में संबंधित कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना प्रस्तावों में उनके द्वारा किए गए प्रस्तावों के आधार पर प्रदान की जा रही है। हालांकि, वर्ष 2022

से एनएचएम के तहत एंबुलेंस के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को आवंटित निधि का विवरण नीचे दिया गया है:

(लाख रुपए में)

राज्य	2022-2023	2023-2024	2024-2025
छत्तीसगढ़	8,935.00	11,340.77	8,576.12

एम्बुलेंस की परिचालन लागत में रखरखाव व्यय भी शामिल है।

(घ): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय पूरे देश में राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। “सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल” राज्य का विषय है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने की प्राथमिक जिम्मेदारी, जिसमें आवश्यक संख्या में एम्बुलेंस उपलब्ध कराना, उनकी कार्यक्षमता और संचालन सुनिश्चित करना शामिल है, संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों सरकारों की है। एनएचएम के माध्यम से नियमित समीक्षा बैठकों और क्षेत्र दौरों के माध्यम से एम्बुलेंस के कार्यान्वयन की प्रगति और निष्पादन की नियमित निगरानी की जाती है।

अनुलग्नक

मानननीय सांसद श्री संतोष पांडे द्वारा "जीवन रक्षक एम्बुलेंसों के रखरखाव" के संबंध में दिनांक **21.03.2025** को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **3581** के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

कार्यशील एएलएस और बीएलएस एम्बुलेंस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एडवांस लाइफ रिपोर्ट (एएलएस)	बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस)
आंध्र प्रदेश	105	523
अरुणाचल प्रदेश	0	112
असम	14	779
बिहार	576	1082
छत्तीसगढ़	30	296
गोवा	27	0
गुजरात	175	425
हरियाणा	55	264
हिमाचल प्रदेश	25	173
झारखंड	124	418
कर्नाटक	231	484
केरल	0	315
मध्य प्रदेश	167	835
महाराष्ट्र	233	704
मणिपुर	0	0
मेघालय	12	38
मिजोरम	0	0
नागालैंड	0	27
ओडिशा	411	449
पंजाब	25	300
राजस्थान	147	797
सिक्किम	0	8
तमिलनाडु	205	1148
तेलंगाना	31	426
त्रिपुरा	0	50
उत्तराखंड	54	217
उत्तर प्रदेश	250	4470
पश्चिम बंगाल	0	1000
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	26
चंडीगढ़	0	6
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0
दिल्ली	0	29
जम्मू एवं कश्मीर	139	64
लद्दाख	22	0
लक्षद्वीप	0	0
पुदुचेरी	0	10
कुल	3058	15475

स्रोत: एनएचएम-एमआईएस, सितंबर, 2024

*****